भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3020

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

जलपाईगुड़ी में आईसीडीएस नेटवर्क

3020. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और रक्ताल्पता को दूर करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पोषण अभियान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलपाईगुड़ी में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और कार्यात्मक आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और उनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रिक्तियां क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): 15वें वित्त आयोग के तहत, बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

यह योजना सार्वभौमिक, स्वयं-चयनित है और इसे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र

कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) के तहत 2018 में लॉन्च किया गया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छह लक्षित लाभार्थियों- 6-59 महीने के बच्चों, 5-9 साल के बच्चों, 10-19 साल के किशोरों, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच कार्यान्वित 6X6X6 कार्यनीति के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए छह संस्थागत तंत्रों के माध्यम से छह पहलों के माध्यम से एनीमिया के प्रसार को कम करना है। एएमबी कार्यनीति की छह पहलों में शामिल हैं:

1. सभी छह लाभार्थियों को रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण
2. कृमि से मुक्ति
3. चार प्रमुख व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान- आईएफए अनुपूरण और कृमि मुक्ति के अनुपालन में सुधार, शिशु और छोटे बच्चे के भोजन की उचित पद्धतियां, आहार विविधता/मात्रा/आवृत्ति और/या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से

आयरन युक्त भोजन के सेवन में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं में देरी से गर्भनाल को बंद करना सुनिश्चित करना

4. डिजिटल तरीकों और देखभाल उपचार के बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण और उपचार,
5. सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान
6. एनीमिया के गैर-पोषण कारणों के बारे में जागरूकता, जांच और उपचार में तेजी लाना

(ख) मिशन पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ग) मिशन पोषण 2.0 के तहत, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग प्रदान करके पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर सिस्टम के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है।

भारत सरकार ने 10 मई, 2023 को सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कौशल उन्नयन के लिए पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की ताकि दिव्यांग बच्चों सहित छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा और पोषण सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता को सशक्त बनाया जा सके।

मंत्रालय ने पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने और "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाने के लिए 13.01.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जलपाईगुड़ी जिले में कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों की जानकारी **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

"जलपाईगुड़ी में आईसीडीएस नेटवर्क" के संबंध में डॉ. जयंत कुमार रॉय द्वारा 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3020 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मिशन पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है*:

क्र. सं.	श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या
1	गर्भवती महिलाएं	8216
2	स्तनपान कराने वाली महिलाएं	5088
3	बच्चे (0-6 महीने)	5053
4	बच्चे (6 महीने से 3 वर्ष)	68020
5	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	98472
6	किशोरियां	0
	कुल	**1,84,849**

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 महीने के आंकड़े

अनुलग्नक-II

"जलपाईगुड़ी में आईसीडीएस नेटवर्क" के संबंध में डॉ. जयंत कुमार रॉय द्वारा 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3020 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जलपाईगुड़ी जिले का अपेक्षित विवरण इस प्रकार है*:

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	3936
जलपाईगुड़ी जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त पद	581

* पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 महीने के आंकड़े